222

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर।

प्रकरण कमांक / /2014 निगरानी। नि० 4083-II-14

कमल किशोर वैरागी पुत्र श्री रामप्रसाद जाति वैरागी आयु 50 साल धन्धा खेती निवासी ग्राम खोजीपुरा तेहसील श्योपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश।

---- आवेदक ।

बिरूद्ध

1– काडू लाल माहौर पुत्र श्री पून्या जाति माहौर कोली आयु 41 साल निवासी ग्राम ढोढर तहसील श्योपुर जिला श्यौपुर मध्य प्रदेश।

-------अनावेदक

2–प्रेम वाई पत्नी कमल किशोर वैष्णव निवासी ग्राम ढोढर तेहसील श्यौपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश।

3– दुर्गेश पुत्र कमल किशोर जाति वैष्णव निवासी ग्राम ढोढर तेहसील श्योपुर जिला श्यौपुर मध्य प्रदेश।

---तरत्तीबी अनावेदगण।

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट द्वारा आज दि. 5-12-14 को प्रस्तुत

5-12-14

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव 5-12-14 एडवोकेट ग्वालियर

माननीय न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी महोदय श्यौपुर व्दारा अपने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 67/2013–14 अपील माल ,काडू लाल बिरूद्ध कमल किशोर में पारित आदेश दिनांक 20. 08.2014 से दुःखित हो कर पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

मान्यवर महोदय ,

आवेदक की और से पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नलिखित पेश है :---

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि अनावेदक क्रमांक 1 ने माननीय अधिनस्थ न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष इस आशय की अपील पेश की है कि ग्राम खोजीपुरा की भूमि सर्वे कमांक 17/1 मिन 2 रकबा 9 बीधा 10 विस्वा ,सर्वे कमांक 17/1 मिन 1 रकबा 9 बीघा 10 विस्वा सर्वे कमांक 15/4 रकबा 8 बीघा , सर्वे कमांक 15/2 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा भूमि स्थित है। जिस पर अपीलार्थी (अनावेदक कमांक 1) अपने पिता के समय से अपनी पत्नी के साथ मिल कर काबिज हो कर काश्त करता चला आ रहा है। किन्तु मौके की स्थिति के बिपरीत रेस्पोण्डेन्टगण ने उक्त भूमि पर गलत तथ्यों के आधार पर पट्टा करा लिया है जब कि उक्त भूमि से रेस्पोण्डेन्टगण का कभी भी किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही रहा है। इस तथ्य की जानकारी अपीलार्थी को सर्व प्रथम जब हुई तब दिनांक 05.08.2014 को हुई जब रेस्पोण्डेन्टगण ने धोंस दी की उक्त भूमि हमारी है हमनें पट्टा करा लिया है तब मौजा पटवारी से

कमशः---------2

1 (3)

क. कमलकिशोर वैरागी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक -निगरानी 4033/दो/14 **जिला** - श्योपुर

कमल किशोर वैरागी विरूद्ध काड़ू लाल माहौर व अन्य

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.08.2019	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 67/2013–14/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 20.08.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27.07.2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25.09.2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2– पक्षकार दिनांक 15.10.2019 को कलेक्टर, जिला श्योपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (जे0के0 जैन) सदस्य	